

उत्तराखण्ड शासन
वित्त अनुभाग-9
संख्या /2018/XXVII (9)/स्टाम्प-11/2014
देहरादून: दिनांक: 11 दिसम्बर, 2018

अधिसूचना

राज्यपाल, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (अधिनियम संख्या 16 वर्ष 1908) की धारा 5 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग तथा राज्य के समस्त उप-जिलों के सम्बन्ध में विद्यमान समस्त अधिसूचनाओं को अधिक्रमित करते हुये, राज्य के समस्त जिलों की सीमाओं को यथावत् रखते हुये जिलों में अवस्थित समस्त उपजिलों का क्षेत्राधिकार समवर्ती किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

यह अधिसूचना दिनांक 11 दिसम्बर, 2018 से प्रभावी होगी।

(अमित सिंह नेगी)
सचिव।

संख्या- 348 (1)/2018/XXVII(9)/स्टाम्प-11 /2014 तददिनांक।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. वरिष्ठ निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ
2. समस्त वरिष्ठ निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को अपर मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ ।
3. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
4. महानिरीक्षक, निबन्धन, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. सहायक महानिरीक्षक निबन्धन, उत्तराखण्ड।
6. निदेशक राजकीय मुद्रणालय रुड़की को इस आशय से प्रेषित कि वे उक्त अधिसूचना को आगामी अंक में प्रकाशन उपरान्त 100-100 प्रतियाँ शासन में उपलब्ध करा दें।
7. एन०आई०सी०, उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर, देहरादून।
8. गार्ड फाईल।

Yice
630
11/12/18


आज्ञा से,
(अनूप कुमार मिश्रा)
अनु सचिव।

Government of Uttarakhand
Finance Section-9
No. 348/2018/XXVII(9)/ Stamp-11/2014
Dehradun: Dated: 11 December, 2018

Notification

In exercise of the powers conferred by Section 5 of the Registration Act, 1908 (Act No 16 of 1908) and in supersession of all existing notifications regarding all sub-districts of the State, the Governor is pleased to allow to make the concurrent jurisdiction of all sub -districts located in the districts by keeping in situ the limits of all districts of the State.

This notification shall come into force on the....11...December, 2018.


(Amit Singh Negi)
Secretary.